

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा


कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 286 / 2025 दिनांक 28 .01.2025

श्री गजेन्द्र कुमार (RJ01118), प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, जालोर को दिनांक 10.02.2025 से 21.02.2025 तक 12 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 08.02.2025 से 09.02.2025 एवं 22.02.2025 से 23.02.2025 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री कुमार की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जालोर इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, जालोर के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से



रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:-स्था.बी.2(4)/106/2016/899

दिनांक :28 .01.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जालोर को उनके पत्रांक 243 दिनांक 09.01.2025 के सन्दर्भ में।
3. श्री गजेन्द्र कुमार (RJ01118), प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, जालोर।
4. प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, जालोर।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जालोर।


सहायक रजिस्ट्रार